न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, आर.ए.एस.

(11)

प्रकरण संख्या : 137 / 14

GCMS id : 2008 / 00029

1. बद्रीलाल आत्मज देवा उर्फ देवीलाल
2. रतनलाल आत्मज देवा उर्फ देवीलाल
3. बाबूलाल आत्मज देवा उर्फ देवीलाल
4. गुलाब बाई बेवा देवा उर्फ देवीलाल
5. चन्द्रकला पुत्री देवा उर्फ देवीलाल

जाति बलाई, निवासीगण ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती

संशोधित निर्णय

दिनांक : 13.07.2022

उपस्थिति : श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक वादीगण

1. वादी की ओर से जर्ये अभिभाषक एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 91 बावत घोषणा खातेदारी व राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया गया।
2. वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

* वादीगण ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के स्थाई निवासी है, जिनके नाम नामान्तरकरण संख्या 422 दिनांक 29.03.2006 को खोला जाकर कृषि आराजी खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 कुल किता 4 रकबा 2.78 हैक्टर पैतृक रूप से वादीगण के पिता व पति के नाम माफी बलाईयान चाकरी दर्ज चली आ रही थी तथा देवा उर्फ देवीलाल के देहान्त के बाद उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज होकर उक्त इंतकाल के जरिये भी माफी बलाई चाकरी ही दर्ज किया गया है।

* वादीगण का उक्त आराजी पर गत 50–60 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.07.1958 को माफी बलाईयान चाकरी के नाम को रिज्यूम कर दिया गया था किन्तु प्रतिवादी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि के राजस्व रिकार्ड में उक्त माफी बलाई चाकरी को पुनः यथावत ही रखा गया है जिसे वादीगण अपने कब्जे काश्त की आराजी से हटाने के अधिकारी है।

* अभी तक राजस्व रिकार्ड में माफी बलाई चाकरी दर्ज होने से वादीगण को कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

* किसी भी सरकारी भूमि पर 30 वर्षो से अधिक का कब्जा होने पर कब्जाधारी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने का प्रावधान है। इस कारण वादीगण उक्त भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

* वादीगण ने प्रतिवादी के राजस्व अधिकारियों से निवेदन करने पर उन्होंने न्यायालय से आदेश लाने पर ही माफी बलाईयान चाकरी के इन्द्राज को हटाने के लिये कहा। इस कारण वादी के लिये न्यायालय से उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से माफी बलाईयान चाकरी को हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

* वाद कारण दिनांक 07.08.2008 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी के कर्मचारियों ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से माफी चाकरी बलाईयान हटाने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

Parthvi
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

(12)

* लैण्ड होल्डर होने से बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय का है। वाद उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

* अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 के राजस्व रिकार्ड में माफी बलाईयान चाकरी हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

* वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रकरण की ग्राम व पटवार हल्का जाखोडा की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श–1 : नकल जमाबन्दी संवत 2016–2027
प्रदर्श–2 : मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
प्रदर्श–3 : नकल जमाबन्दी संवत 2062–2065
प्रदर्श–4 : नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024
प्रदर्श–5 : नकल जमाबन्दी संवत 2027–2030
प्रदर्श–6 : नकल जमाबन्दी संवत 2013–2016

3. प्रकरण में बाद तामील प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

o विवादित भूमि माफी बलाई चाकरी की होने से फोती नामान्तरकरण के बाद भी नियमानुसार माफी बलाई चाकरी यथावत रखा गया जो सही है।
o वाद में वर्णित भूमि माफी बलाई चाकरी की है जो सर्विस ग्रन्ट के तहत सार्वजनिक हितार्थ है। जब तक सर्विस ग्रान्ट रहेगी तब विरासतन रहेगी। सेवायें अदायगी बन्द किये जाने पर भूमि राज्य सरकार की होगी। उक्त भूमि पर खातेदारी का वाद पोषणीय नहीं है।
o विवादित भूमि सेवायें अदायगी के तहत है जो सरकार रिकार्ड अनुसार घोषित नहीं है। सरकार भूमि पर एडवर्स पजेशन मान्य नहीं है। भूमि कमाण्ड क्षैत्र की है।
o वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का नहीं है।
o वाद अर्जेन्ट व इमिजिएट रिलिफ से सम्बन्धित नहीं है। इमिजिएट व अर्जेन्ट होने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। नियमानुसार धारा 80 का नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य था।
o विवादित भूमि ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 कमाण्ड क्षैत्र के अन्तर्गत है जहाँ पर आवंटन/नियमन प्रचलित बाजार दर किये जाने का प्रावधान है।
o विवादित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आम हितार्थ प्रकृति की है।
o अतः वाद पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है।

4- प्रकरण के वादपत्र तथा जवाब दावा के कथनों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

(a) आया वादीगण की पैतृक आराजी खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 वाके ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा की कब्जा व खुदकाश्त की चली आ रही है जो वादीगण के पिता देवा उर्फ देवीलाल आत्मज लक्ष्मण के नाम माफी बलाईयान चाकरी दर्ज है। – (वादीगण)

(b) आया माफी बलाईयान चाकरी दिनांक 01.07.1958 से रिज्यूम करने से वादीगण अपने नाम खातेदारी से माफी बलाईयान चाकरी हटवाने व अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। – (वादीगण)

(c) आया उच्च न्यायालय व राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों को माफी चाकरी के खुदकाश्त कृषकों की भूमि को मुक्त कर खुदकाश्त के खातेदारों के खाते दर्ज करने का आदेश व निर्देश जारी किया गया है जिसके आधार पर भी वादीगण उक्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। – (वादीगण)

(d) आया विवादित भूमि को वादी आवंटन नियम प्रचलित बाजार दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। (प्रतिवादी)

(d) सहायता ?

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

13

प्रकरण पर उभयपक्ष के विद्वान वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई –

- वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि संवत 2013–2016 में ग्राम जाखोडा की विवादित आराजी वादीगण के पिता व पति देवा के माफी चाकरी बलाईगिरी दर्ज की गई थी। संवत 2016–2024 में भी उक्त आराजी माफी बलाई चाकरी ही दर्ज रही। उपरोक्त दोनों जमाबन्दियों में रिज्यूम्ड दिनांक 01.07.1958 अंकित है। इसके बाद आज तक भी माफी बलाई चाकरी को हटाया नहीं गया है। इससे वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः निवेदन है कि माफी रिज्यूम्ड हो जाने से वर्तमान जमाबन्दी में अंकित माफी बलाई चाकरी को हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। वादी वकील द्वारा कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की निम्नानुसार नजीरें पेश की गई –

(i)	RRT 2015(2),	Page # 1214-1218
(ii)	RRT 2003(2),	Page # 1027-1034
(iii)	RBJ (13) 2006,	Page # 190-192
(iv)	RRT 2003(1),	Page # 585-591
(v)	RRT 2004(1),	Page # 250-265
(vi)	2008(1) RRT,	Page # 151-154
(vii)	RRT 2001(2),	Page # 1256-1261
(viii)	RRT 2015(2),	Page # 1130-1147

- प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा के कथनों को ही बहस के कथन मानते हुये प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

6- प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं पेश की गई नजीरों के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(a) *आया वादीगण की पैतृक आराजी खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 वाके ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा की कब्जा व खुदकाश्त की चली आ रही है जो वादीगण के पिता देवा उर्फ देवीलाल आत्मज लक्ष्मण के नाम माफी बलाईयान चाकरी दर्ज है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
- वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2013–2016 (प्रदर्श–6), संवत 2016–2024 (प्रदर्श–1), संवत 2027–2030 पेश की गई है, जिनके अनुसार ग्राम जाखोडा की आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 571 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा आराजी देवा उर्फ देवीलाल आत्मज लक्ष्मण के नाम माफी बलाई चाकरी दर्ज रेकार्ड थी।
- मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 (प्रदर्श–2) पेश किया गया है जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 263 से नये खसरा नम्बर 699 तथा गत खसरा नम्बर 571 के नये खसरा नम्बर 850, 859, 860, 861, 862, 863 बनाये गये। इनमें से वादीगण के नाम खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 दर्ज किये गये है।
- इस प्रकार स्पष्ट है कि नये बने खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 वादीगण के पिता देवा के नाम दर्ज होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। यह सही है कि उक्त नये खसरा नम्बर वादीगण के नाम दर्ज है।
- तनकी में अंकित वादी के उक्त कथन की पूर्णतः पुष्टि नहीं होने के कारण यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(b) *आया माफी बलाईयान चाकरी दिनांक 01.07.1958 से रिज्यूम करने से वादीगण अपने नाम खातेदारी से माफी बलाईयान चाकरी हटवाने व अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
- काश्तकारी अधिनियम की धारा 13, 15 व 19 के अनुसार खुदकाश्त की आराजी पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान उद्धृत है।
- विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत 2016–2024 के कॉलम 3 में वादीगण के पिता देवा वल्द लक्ष्मण का नाम तथा कॉलम 5 में खुदकाश्त दर्ज है।
- वादी की ओर से पेश जमाबन्दी संवत 2013–2016 एवं 2016–2024 के अनुसार रिज्यूम्ड दिनांक 01.07.58 अंकित है।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

(15)

- भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पिता की खुदकाश्त की भूमि माना है। वर्तमान नकल जमाबन्दी में वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर बतौर खातेदार दर्ज किया हुआ है।
- न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(2) Page 1033 में उद्धृत है – "धारा 13 अधिनियम में भी स्पष्टतः प्रावधित किया गया है कि जहां भू धारक बतौर खुदकाश्त आराजी पर काबिज है, वह उसका खातेदार काश्तकार जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन के समय हो जावेगा।"
- न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) Page 588 में उद्धृत है–"जागीर अधिग्रहण के समय उक्त आराजी उसकी खुदकाश्त की आराजी होने के कारण वो खातेदार हो गया।"
- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 में **"पुनर्ग्रहण (अथवा उन्मूलन) होने पर खातेदारी अधिकारों का होना"** के अनुसार किसी भू सम्पदा का सम्पूर्ण राज्य में अथवा उसके किसी हिस्से में विद्यमान किसी काश्त के अन्तर्गत पुर्ग्रहण (अथवा उन्मूलन) हो जाने की अवस्था में, भू–सम्पत्ति धारी जो खुदकाश्त रखता है, उसका आसामी बन जायेगा और उन सभी उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत खातेदार आसामी पर आरोपित है,

  परन्तु वह जमींदार अथवा बिस्वेदार जो खुदकाश्त भूमि धारण करता है, राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत उसकी भू–सम्पत्ति का उन्मूलन हो जाने पर, उक्त खुदकाश्त भूमि का मालिक बन जायेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत खातेदार आसामी कोदिये गये सभी अधिकारों का दावेदार एवं आरोपित सभी उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत होगा।
- इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (*स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम हरकलाल, 1985 आर.आर.डी. पृष्ठ-298*) में उल्लेखित है – "कोई भी जागीरदार, माफीदार अपनी जागीर या माफी राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पुनग्रगहित होने पर केवल एकसी भूमि का ही खातेदार बनता है, जो उसकी खुदकाश्त की भूमि हो।"
- मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024 व संवत 2016–2027, विवादित आराजी खुदकाश्त दर्ज है। साथ ही जमाबन्दी संवत 2013–2016 एवं 2016–2024 में रिज्यूम्ड दिनांक 01.07.58 अंकित है।
- मुताबिक वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी विवादित आराजी वादीगण की ***"माफी बलाई चाकरी, ...(नाम वादीगण)... सा.देह। खातेदार"*** दर्ज है।
- स्पष्ट है कि माफी बलाई चाकरी दिनांक 01.07.1958 से रिज्यूम करने से वादीगण अपने नाम खातेदारी से बलाई चाकरी हटाये जाने का अधिकारी है। वर्तमान जमाबन्दी के वादीगण के नाम के साथ शब्द "खातेदार" Already दर्ज है। उपरोक्त विवेचनानुसार यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(c) *आया उच्च न्यायालय व राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों को माफी चाकरी के खुदकाश्त कृषकों की भूमि को मुक्त कर खुदकाश्त के खातेदारों के खाते दर्ज करने का आदेश व निर्देश जारी किया गया है जिसके आधार पर भी वादीगण उक्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
- जमाबन्दी संवत 2016–2024 एवं संवत 2016–2027 में विवादित आराजी के गत खसरा नम्बर वादीगण के पिता स्व. देवा के खुदकाश्त में दर्ज थी। जमाबन्दी संवत 2013–2016 एवं 2016–2024 में रिज्यूम्ड दिनांक 01.07.58 अंकित है।
- तनकी क्रम (b) में किये गये विवेचनानुसार राजस्थान कायतकारी अधिनियम की धारा 13, 15 व 19 में खुदकाश्त की आराजी पर खातेदारी दिये जाने सम्बन्धी दृष्टान्त उद्धृत है।
- राज्य सरकार के (राजस्व ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के बिन्दु–3 में उल्लेखितानुसार राज0 भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी। उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज

सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर

करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। तथा बिन्दु–4 में उल्लेखित है कि "ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वाह, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

- इसी परिप्रेक्ष्य में (राजस्व ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 एवं परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा भी इन्हेंखातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
- अतः वादी के कथन की पुष्टि होने के फलस्वरूप यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(d) *आया विवादित भूमि को वादी आवंटन नियम प्रचलित बाजार दर से प्राप्त करने का अधिकारी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था।
- प्रतिवादी की ओर से श जवाब दावा की आपत्तियों में विवादित आराजी को सर्विस ग्रान्ट की भूमि बताया गया है। वादीगण द्वारा पेश राजस्व अभिलेख से विवादित आराजी संवत 2013–2016 में वादीगण के पिता की खुदकाश्त में दर्ज थी। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2001(1), पृष्ठ 1256–1261 में भी उल्लेखित है। इसके अनुसार सेवायें अदायगीवन्द हो जाने पर भी भूमि राज्य सरकार की नहीं होगी।
- विवादित भूमि राजकीय भूमि दर्ज नहीं है। सेटलमेन्ट से पूर्व विवादित आराजी वादीगण के पिता की खुदकाश्त में दर्ज थी। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम के साथ खातेदार दर्ज है।
- किसी भी प्रकरण के अर्जेन्ट व इमिजिएट रिलिफ से सम्बन्धित होने की स्थिति में यद्यपि दावा पेश करने के पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने के प्रावधान उपलब्ध है तथापि इसके साथ ही संहिता की धारा 80 (2) के अन्तर्गत, नोटिस दिये जाने की बाध्यता से छूट भी प्रदान की गई है। इसके लिये वादी को अपने दावे के साथ धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक होता है जो कि उनके द्वारा पेश किया गया है।
- जवाब दावा में विवादित आराजी के खसरा नम्बरान को कमाण्ड क्षैत्र का होने के आधार पर प्रचलित बाजार दर से आवंटन/नियमन किये जाने का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वादीगण के पिता स्व. देवा को यह आराजी माफी के तहत दी गई थी। उसके उपरान्त दिनांक 01.07.1958 मो माफी रिज्यूम हो चुकी है जो वादीगण की ओर से पेश राजस्व अभिलेख से स्वतः ही स्पष्ट है। वादीगण द्वारा विवादित आराजी पर संदाय लगान का वर्तमान जमाबन्दी में उल्लेख है अर्थात वे लगान देते है।
- अतः विवादित आराजी माफी चाकरी की होने तथा विवादित आराजी की माफी रिज्यूम हो जाने के फलस्वरूप वादी विवादित भूमि को आवंटन नियम की प्रचलित बाजार दर से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(e) *सहायता ?*

- वादीगण के पिता देवा के माफी बलाई चाकरी में विवादित आराजी के गत खसरा नम्बर दर्ज थे। उसी अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी वादीगण के नाम के साथ माफी बलाई चाकरी दर्ज चला आ रहा है। जबकि आराजी रिज्यूम हो चुकी है। अतः विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) से माफी बलाई चाकरी हटाई जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने की सहायता चाही गई है।
- प्रतिवादी का कहना है कि विवादित भूमि माफी बलाई चाकरी की है जो सर्विस ग्रान्ट के तहत सार्वजनिक हितार्थ है। उक्त भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। भूमि कमाण्ड क्षैत्र की है। जहाँ पर प्रचलित बाजार दर पर नियमन किये जाने का प्रावधान है। अतः वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की सहायता चाही गई है।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

(6)

हमने वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- मुताबिक जमाबन्दी संवत 2013–2016 (प्रदर्श–6) विवादित आराजी के गत खसरा नम्बर 263 की 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 571 की 17 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा पर
  1. बहुक्म माल सदर ता0 23.1.10 माफी बहाल हुई,
  2. बहुक्म दिनांक 1.5.45 बजाय माधो के मुसम्मत रामी का दाखिल खारिज मंजूर हुआ, इं.नं. 532
  3. बहुक्म दिनांक 14.4.50 रामी के बजाय देवा का नाम दर्ज हुआ, इं.नं. 671
- इसी जमाबन्दी के कॉलम 4 में भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार और मालगुजार, बिस्वेदार या जमीदार के नाम में "माफल चाकरी बलाईगिरी देवा बेटा लक्ष्मन दर्ज है।
- इसके बाद की जमाबन्दी संवत 2016–2024 (प्रदर्श–7) एवं संवत 2024–2027 (प्रदर्श–1) के कॉलम 3 भोक्ता का नाम में वादीगण के पिता देवा का ही नाम दर्ज है। तथा कॉलम–5 कृषक का नाम में खुदकाश्त दर्ज है।
- मुताबिक मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 (प्रदर्श–2) गत खसरा नम्बर 263 व 571 के नये खसरा नम्बर 699, 850, 860, 861, 862, 863 कायम किये गये।
- इनमें से मुताबिक जमाबन्दी संवत 2062–2065 (प्रदर्श–3) खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 में माफल बलाई चाकरी के साथ वादीगण का नाम दर्ज है तथा केसीसी हेतु देना बैंक में रहन होना भी अंकित है।
- विवादित आराजी वादीगण के पिता के खुदकाश्त में दर्ज रही तथा जागीर उन्मूलन के बाद माफी रिज्यूम होने का भी उल्लेख है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण की तनकीयात में किये गये विवेचन के अनुसार विवादित आराजी वादीगण के पिता की खुदकाश्त आराजी होने, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13, 15, 19 के अनुसरण में वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण खातेदार दर्ज होने तथा जागीर उन्मूलन अधिनियम उपरान्त दिनांक 01.07.1958 को माफी रिज्यूम होने के फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 कुल किता–4 रकबा 2.78 में काश्तकार के नाम वाले कॉलम में वादीगण के नाम से पहले अंकित *'माफी बलाई चाकरी'* शब्द को विलोपित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6. यह संशोधित निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

(17)

मूल वाद में संशोधित डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – पार्थवी, R.A.S.

बउनवान –

1. बद्रीलाल आत्मज देवा उर्फ देवीलाल
2. रतनलाल आत्मज देवा उर्फ देवीलाल
3. बाबूलाल आत्मज देवा उर्फ देवीलाल
4. गुलाब बाई वेवा देवा उर्फ देवीलाल
5. चन्द्रकला पुत्री देवा उर्फ देवीलाल

जाति बलाई, निवासीगण ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत : 88, 89, 90, 91 RTA
मुकदमा नम्बर : 137 / 14
निर्णय दिनांक : 13-07-2022

GCMS id : 2008 / 00029

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा की उपस्थिति में वादपत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 13–07–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर तनकीयात के विवेचनानुसार विवादित आराजी, वादीगण के पिता की खुदकाश्त आराजी होने, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13, 15, 19 के अनुसरण में वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण खातेदार दर्ज होने तथा जागीर उन्मूलन अधिनियम उपरान्त दिनांक 01.07.1958 को माफी रिज्यूम होने के फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 699, 859, 860, 863 कुल किता–4 रकबा 2.78 में काश्तकार के नाम वाले कॉलम में वादीगण के नाम से पहले अंकित *'माफी बलाई चाकरी'* शब्द को विलोपित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह संशोधित डिक्री आज तारीख 13 जुलाई, 2022 को मेरे द्वारा लिखवाई और टंकित करवाई जाकर न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Parthvi

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		